छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-11

<u>रायपुर, गुरूवार, दिनांक 16 मार्च, 2017</u>
(फाल्गुन 25, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11, 14 एवं 15 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक सभा की कार्यवाही से दिनांक 10 मार्च, 2017 को निलंबित हो गये थे, उनका निलंबन यथावत है। वे कृपया सभा से बाहर चले जायें।

(श्री अमित अजीत जोगी एवं श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य सभा से बाहर गए।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री बृहस्पत सिंह अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राय के निलंबित होने के कारण अनुपूरक प्रश्न हेतु उनका नाम नहीं पुकारा गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा सुकमा जिले में दिनांक 11 मार्च 2017 को नक्सली हमले में 12 जवानों के शहीद होने के संबंध में 36 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य के निलंबित होने तथा श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता पर चर्चा

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता पर चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री मोहन मरकाम, कवासी लखमा।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (कमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार-

(i) बिलासपुर विश्वविद्यालय का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,
(ii) सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई,2015 से 30 जून, 2016),
(iii) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, तथा
(iv) दुर्ग विश्वविद्यालय का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 **पटल पर रखे।**

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री भोलाराम साहू, गिरवर जंघेल, मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने प्रदेश में सब्जियों के संग्रहण की उचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को हानि होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81 एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-7 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, कवासी लखमा, बघेल लखेश्वर, केशव चंद्रा, दीपक बैज, जनकराम वर्मा, श्यामलाल कंवर, मोहन मरकाम मांग संख्या-22 सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, श्रीमती अनिला भेंडिया मांग संख्या-69 पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी एवं मांग संख्या-11 श्री टी.एस.सिंहदेव, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री दीपक बैज, जनकराम वर्मा, श्यामलाल कंवर, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

8.निलंबन समाप्ति एवं निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 10 मार्च, 2017 को सभा के गर्भगृह में आकर स्वमेव निलंबित सदस्य सर्वश्री अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय एवं सियाराम कौशिक की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं उक्त सदस्यों से अपेक्षा की कि नियमों का ज्ञान होने के बावजूद बार-बार नियमों का उल्लंघन कर सभा के गर्भगृह में न आयें।

9. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, जयसिंह अग्रवाल, श्यामबिहारी जायसवाल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अरूण वोरा, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, (डॉ.) खिलावन साहू, दलेश्वर साहू, केशव चंद्रा, नवीन मारकण्डेय, रामदयाल उईके,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामलाल चौहान, राजेन्द्र कुमार राय, गुरूमुख सिंह होरा, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री देवजी भाई पटेल

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में सायं 7.00 बजे तक वृद्धि की घोषणा की)

श्री भूपेश बघेल, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 (2) की मांगे प्रस्तुत होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

10. बहिष्कार

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए बहिष्कार किया ।

11. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने बजट पुस्तिका क्रमांक 19 में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये ।

13. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(2) श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या 76, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21, परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

सायं 7.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017 (फाल्गुन-26, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा